

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वरलू
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

राजस्व अनुभाग—10

लखनऊ : दिनांक : २१ फरवरी, 2013

विषय: बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु ₹ 50.00 लाख से अधिक कुल 04 कार्यों हेतु हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—2563 / सी०आर०ए०(दै०आ०—बाढ़ क्षति० मरम्मत—धन०) / 13, दिनांक— 28 जनवरी, 2013 जो की आयुक्त देवीपाटन मण्डल गोण्डा को सम्बोधित है तथा आयुक्त देवीपाटन मण्डल के पत्र संख्या—172 / आर०ए०—प्रथम / 13 दिनांक 11 फरवरी, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलरामपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुर्ननिर्माण/पुर्नस्थापना हेतु मण्डल स्तरीय राहत समिति की बैठक दिनांक 30.11.2012 में अनुमोदित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में कुल धनराशि ₹ 0 34296000/- की मांग की गयी है। अतः विभिन्न विभागों के ₹ 0 50.00 लाख से अधिक के मरम्मत आदि अनुमोदित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में मांगी गयी धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल धनराशि ₹ 0 1,71,48,000/- (रूपये एक करोड़ इकहत्तर लाख अठतालीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र०सं०	विभाग विभाग का नाम	क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति का नाम	मांगी गयी धनराशि (₹० में)	अवमुक्त धनराशि (₹० में)
1	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर	जनपद बलरामपुर में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त अर्द्धे झेन की पुर्नस्थापना / मरम्मत का कार्य	9665000	4832500

		जनपद बलरामपुर में भोजपुर शाहपुर बाँध के किमी 0 1.800 से 2.200 क माध्य बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त वायर कटर के पुनर्स्थापना / मरम्मत का कार्य	6506000	3253000
3		जनपद बलरामपुर में भोजपुर शाहपुर बाँध के किमी 0 6.100 से 6.600 माध्य बाढ़ / अतिवृत्तिष्ट से क्षतिग्रस्त वायर कटर के पुनर्स्थापना / मरम्मत का कार्य	6525000	3262500
1	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (प्र०प०) लो०नि०वि० बलरामपुर	उत्तरौला फैजाबाद इलाहाबाद राज्यमार्ग सं०-९ किमी 0 1 से किमी 0 26 स्थित रेहरा बाजार क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत / पुरस्थापना का कार्य	11600000	5800000
		कुल योग	34296000	17148000

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीषक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्म्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनरस्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-७८/पी०ए०आ००/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं० 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011, शासनादेश सं० 1349/1-10-2012-12(73)/2008, दिनांक 17.05.2012 के अनुसार किया जायेगा।


२१

-२

5. बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा / अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति के मरम्मत / पुर्ननिर्माण की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप में समय पूर्ण कर लिया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत / रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।
6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय। जिलाधिकारी द्वारा यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जॉच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश सं 2660 / 1-10-2012-रा०-10-33(171) / 2012, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत / पुर्ननिर्माण / पुर्नस्थापना हेतु प्रस्तावों / कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभागों से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। विभागों से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग / जिलाधिकारी का होगा।
7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण कराना तथा जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य अन्तर्गत धनराशि निर्गत करना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित

किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या—1693 / 1-11-2005-रा०-11, दिनॉक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें अविलम्ब/31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।
10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

 एल० वेंकटेश्वरलू)
 सचिव एवं राहत आयुक्त।


संख्या : १८९०/ १-१०-२०१३-१२(३४) / २०१२, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद
- 2- आयुक्त, देवीपाटन, मण्डल गोण्डा/प्रमुख सचिव, सिंचाई उ०प्र० शासन।/प्रमुख सचिव, लो०नि० विभाग उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख अभियंता/सिंचाई/लो०नि०विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बलरामपुर।

- 8— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—5, उ0प्र0 शासन।
- 9— समीक्षा अधिकारी (लेखा) / समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग—10 / राजस्व अनुभाग—6 / 11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 10— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- 11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(विनोद कुमार शर्मा)

अनुसचिव।